मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक वी 7 (बी) 08/2011/2/पांच भोपाल दिनांक 26 फरवरी, 2011

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः— शपथ–पत्रों पर नोटेरियल स्टाम्प लगाये जाने बाबत।

....00....

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक 780–202–6 – आर –76 दिनांक 02.11.76 द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा प्रतिज्ञात किये जाने वाले शपथ–पत्रों पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक (23) एफ–बी–4–7–2002–वाणिज्यिक कर–पांच दिनांक 28.08.2002 द्वारा पिछड़ा वर्ग के किसी सदस्य द्वारा प्रतिज्ञात शपथ–पत्र पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है। उक्त छूटें भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की सारणी 1–क के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत केवल शपथ–पत्रों पर दी गई है।

2/ शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है, कि स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त ऐसे शपथ–पत्रों, जो कि नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित किये जाते है, पर नोटरी संबंधी कार्य के स्टाम्प नहीं लगाए जा रहे है, जिससे शासन के राजस्व की महती हानि हो रही है।

3/ इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि नोटरी कार्य के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की सारणी 1–क अनुच्छेद 40 के अंतर्गत 10/– रूपये का स्टाम्प शुल्क पृथक से प्रभार्य है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क से कोई छूट शासन द्वारा प्रदान नहीं की गई है। अतः नोटराईज़ किये गये सभी शपथ–पत्रों पर 10/– रूपये के नोटरीयल कार्य संबंधी स्टाम्प लगवाया जाना सुनिश्चित करें। तत्संबंधी जानकारी अपने जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों / न्यायालयों को भी तत्काल प्रदान करे। साथ ही अपने जिले के तहसीलदारों एवं उप पंजीयकों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत लिखित में अधिकृत कर नोटरी कार्यालयों का निरीक्षण करायें तथा जिन प्रकरणों में नोटरी स्टाम्प लगे हुये नहीं पाये जाते है, उनमें प्रकरण दर्ज कराकर वसूली की कार्यवाही करायें।

(ए.पी.श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन वाणिज्यिक कर विभाग
भोपाल दिनांक 26 फरवरी, 2011

पृ. क्रमांक बी 7 (बी) 08/2011/2/पांच
प्रतिलिपिः—

महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन वाणिज्यिक कर विभाग